



कार्यालय अपर पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक 29.11.2023

1- अभियुक्त ज्ञानेन्द्र पुत्र भैयालाल यादव निवासी- चमरू (तारापुर) थाना सिन्धौरा कमिश्नरेट वाराणसी को अन्तर्गत धारा-3(1) उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी महोदय द्वारा 06 माह हेतु जिला बदर किया गया। जिनका आपराधिक इतिहास निम्नवत है:-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1	112/2022	147/148/149/323/332/352/353 भादवि व 3/5 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि0 1984 व 7सीएल ए एक्ट	जैतपुरा
2	113/2022	147/148/149/323/332/352/353 भादवि व 3/5 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि0 1984 व 7सीएल ए एक्ट	जैतपुरा
3	114/2022	3/5 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि0 1984	जैतपुरा
4	297/2022	147/148/149/332/333/323/504/307/34/120 बी भादवि व 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0 व 7 सीएल ए एक्ट	कैण्ट
5	224/2022	147/148/149/332/333/353/323/504/307/34/427 भादवि व 7 सीएल ए एक्ट	सिगरा

2- अभियुक्त निहाल उर्फ मोना पुत्र गुलाम गौस निवासी- सी0 14/12 लल्लापुरा थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी को अन्तर्गत धारा-3(1) उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी महोदय द्वारा 03 माह हेतु जिला बदर किया गया। जिनका आपराधिक इतिहास निम्नवत है:-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1	248/2020	436/336/323/504/506 भादवि	सिगरा
2	NCR NO-032/2019	323/504 भादवि	सिगरा
3	NCR NO-137/2022	323/504 भादवि	सिगरा
4	NCR NO-137/2023	323/504 भादवि	सिगरा

सोशल मीडिया सेल,
अपर पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था,
कमिश्नरेट वाराणसी।